क्रम संख्या–52

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006 ई0

चैत्र 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 719/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 07 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन), 2006 पर दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 6, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन)

अधिनियम, 2006

(अधिनियम सं0 06, सन् 2006)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन हेतु–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावन वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(2) यह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन

2-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में शब्द "जैसा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (छ छ) में परिभाषित है" के स्थान पर शब्द "जैसा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (31) में परिभाषित है" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 का उपधारा (1) में शब्द "व्यापार कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर वाणिज्य कर" रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम का संशोधन

4-मूल अधिनियम में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948" आये हैं, के स्थान पर वहाँ-वहाँ शब्द "उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" पढ़े जायेंगे।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Acts, 2000) Adaptation and Modification Order, 2000 (Amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04--04--2006.

No. 719/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, April 07, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS ACT, 2000) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2006

(Act No. 06 of 2006)

to further amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002.

An

Act

Be it enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:--

Short title, Extent and Commencement

1-- (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002, (Amendment) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from October 01, 2005.

Amendment of Section 2

2--In Clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as principal Act) the words "as defined in sub-section (31) of section 2 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005" shall be substituted for the words" as defined in Clause (gg) of section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948".

Amendment of Section 3

3--In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, the words the Commissioner of Commercial Tax" shall be substituted for the words "the Commissioner of Trade Tax".

Amendment of the principal Act

4--In principal Act wherever the expression "the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948" occurs, it shall be read as "the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005."

By Order,

U.C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 6 विधायी / 195–2006–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।